

33

अज अदालत सजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

123/19/223

छोटू बनाम लक्ष्मण वगैरह

<p>तारीख पेशी</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <u>उमेश कुमार</u></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में है</p>
<p>14.1.21</p>	<p>2019/00/23 श्री <u>उमेश कुमार</u> छोटू बनाम लक्ष्मण वगैरह</p> <p>रेस्पो. ऑफिस 9A जिला न्यायालय अजमेर 301001</p> <p>पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 07,9,11, 18 से 20, 22 से 24 उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 07,9,11, 18 से 20, 22 से 24 को कई बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 20.03.2020 से आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 10, 15 से 17, 21 की तलबी हेतु बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी एवं 3 बार अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी सम्मन/नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 05 के प्रावधानो अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 10, 15 से 17, 21 की तलबी हेतु सम्मन /नोटिस तलबाना पेश नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p><i>W</i> सजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	<p>25 हुक्म की तामील में है 22/1/21</p>